2025/329

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नरेन्द्र कुमार मीणा
निवासी जैतपुरा ।
तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 69 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2025 को देकर निवेदन किया है कि गांव वेराजैतपुरा (जैतपुरा) तहसील शिवगंज में शमशान भूमि आवंटित करवाने हेतु आम बैठक के लिए ग्रामवासियों को कब सूचित किया गया एवं सूचना का माध्यम क्या रहा। शमशान भूमि आवंटित करने हेतु कौनसी दिनांक को आम सभा का आयोजन किया गया एवं ग्रामीणों की कितनी उपस्थिति रही। आवंटित शमशान भूमि में कितने वार्ड पंचों एवं ग्रामीणों की सहमति ली गई तथा आवंटित शमशान भूमि का खसरा नम्बर सहित प्रमाणित नक्शा से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2025 को देकर निवेदन किया है कि गांव वेराजैतपुरा (जैतपुरा) तहसील शिवगंज में शमशान भूमि आवंटित करवाने हेतु आम बैठक के लिए ग्रामवासियों को कब सूचित किया गया एवं सूचना का माध्यम क्या रहा। शमशान भूमि आवंटित करने हेतु कौनसी दिनांक को आम सभा का आयोजन किया गया एवं ग्रामीणों की कितनी उपस्थिति रही। आवंटित शमशान भूमि में कितने वार्ड पंचों एवं ग्रामीणों की सहमति ली गई तथा आवंटित शमशान भूमि का खसरा नम्बर सहित प्रमाणित नक्शा से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/सू.अ.अधि./2025/268 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	